तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प पंचायत मुख्यालय रतियापुरा पर पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट उपस्थित। बहस अपील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस आशय की पेश की है कि निर्णय दिनांक 15/6/1967 बावत नामान्तकरण सं. 47 व निर्णय दिनांक 5/5/76 बावत नामान्तकरण सं. 160 ग्राम रतियापुरा तहसील मासलपुर पूर्व तहसील करौली अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट नं. 7 ग्राम पंचायत रतियापुरा खिलाफ कानून खिलाफ मिसल है। अरवेटरी है। परिवरिश रेस्पोडेन्ट है। एक पक्षीय है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। और अपील नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट नाबालिग रहा है। उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता० 5 के पिता मूला उर्फ मूलचन्द पुत्र अंगद जाति मीना निवासी रतियापुरा के विरासत के दर्ज किये गये है। जिसमे अपीलान्ट का नाम अपीलान्ट के नाबालिग होने से पटवारी हल्का द्वारा सहवन दर्ज नही किया गया है। जबकि मूला उर्फ मूलचन्द के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता० 5 पैदायशी पुत्र है और वैध वारिस है अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट नं. 7 द्वारा अपीलान्ट को ~~[illegible]~~ बिना सुने नामा० स्वीकृत किया है। अपीलान्ट का नाम उक्त दोनो नामान्तकरणो मे मूला उर्फ मूलचन्द का पुत्र होने से रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता० 5 के साथ दर्ज कराने का अपीलान्ट अधिकारी है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 13.1.21 को पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी लेने पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम नामान्तकरणो मे दर्ज नही होने ~~की~~ कहने पर हुई है। जानकारी दिनांक 13.1.2021 से अपील अन्दर म्याद पेश की है दि० 15/6/67 व 5/5/76 से दि० 13/1/21 तक के समय को जानकारी अपीलान्ट के अभाव मे कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय [illegible] पेश किया है। और अपील [illegible] किये जाने का निवेदन [illegible] रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता० 4 ने दि० 19/3/2021 को उपस्थित होकर पत्रावली मे जवाब प्रस्तुत कर अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरणो मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। जिससे अपीलान्ट का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:50:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	रेस्पोन्डेन्ट नं० 1 ता 5 का सगा भाई होना एवं मूला उर्फ मूलचंद पुत्र अंगद का पुत्र होना साबित होता है। अपीलान्ट अपना नाम नामान्तकरण सं० 47 दिनांक 15/6/67 व नामा० सं० 160 दि० 5/5/76 ग्राम रतियापुरा तहसील मासलपुर मे दर्ज कराने का हकदार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 47 दिनांक 15/6/67 व नामान्तकरण सं० 160 दिनांक 5/5/76 ग्राम रतियापुरा तहसील मासलपुर निरस्त किये जाते है। पत्रावली नामान्तकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये मूला उर्फ मूलचन्द पुत्र अंगद जाति मीना निवासी रतियापुरा के वारिसान की जांच कर पुनः गुणावगुण के आधार पर नामान्तकरण पर निर्णय पारित कर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मासलपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:50:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner